Unit - III

Bullet - 1

अनुकूलन (Adaptation)

Introduction of Adaptation (अनुकूलन) :-

शिक्षा व्यवस्था में अनुकूलन का आशय (तात्पर्य) अपवंचित, अक्षम, पिछड़े एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन से है; जैसे - एक मन्दबुद्धि बालक विद्यालय में प्रवेश करता है जो शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत सहायता करके उसे विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अनुकूलन सिखाया जाता है।

इस प्रकार जब बालक-बालिकाओं में विविधता होते हुए भी उनको विद्यालय में क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्था के साथ समायोजन सिखाया जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनुकूलन के अन्तर्गत आती है।

Needs of Adaptation :-

अनुकूलन की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिये :-

1. योजना निर्माण (planning construction) :-

सामान्य विद्यालयों में विविधता से सम्पन्न छात्रों का अनुकूलन करने के लिए योजना का निर्माण करना चाहिये। इस योजना में अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि बहुत सी संस्थाएँ विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनको इस क्षेत्र में विशेष अनुभव होते हैं। इस अनुभवों का लाभ सभी को प्राप्त होता है तथा सभी मिलकर छात्रों के अनुकूलन का प्रयास करते हैं।

Scanned with CamScanner

(2) शिक्षकों का सहयोग (Co-operation of Teacher) :-

शिक्षकों को आपसी सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिये। सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सहयोग की इस प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग भी लिया जाय। इससे विविधता से युक्त छात्रों के विद्यालयी अनुकूलन पर विचार-विमर्श किया जा सकेगा। विशेष शिक्षा शिक्षक द्वारा सामान्य शिक्षा शिक्षकों को सुझाव प्रदान किये जा सकेंगे।

(3) योजना का मूल्यांकन (Evaluation of planning) :-

अनुकूलन के लिये जो भी योजनाएँ निर्मित की जाये उनकी समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिये। इनमें सर्वप्रथम क्रियान्वयन की नीति का मूल्यांकन किया जाये। इसके बाद उस योजना के द्वारा कितने छात्रों का अनुकूलन किया गया। इसके साथ-साथ जिस उद्देश्य के लिये योजना का निर्माण किया, उस उद्देश्य को किस स्तर तक प्राप्त किया गया है। योजना की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिये जिससे आगे की योजना में वे त्रुटियाँ न रहें। इस प्रकार के प्रत्येक अनुकूलन, योजना एवं कार्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिये।

(4) श्रवण बाधित छात्रों का अनुकूलन (Adaption of hearing impaired students) :-

विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि कम सुनते हैं। किसी चोट के कारण इसको कम सुनायी देता है या बचपन से ही। प्रथम इन्हें बालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये। यदि किसी कारण उनकी श्रवण क्षमता वापस नहीं आती तो उनके लिये श्रवण यंत्र की व्यवस्था की जाय। शिक्षक द्वारा ऐसे छात्रों को लिखित निर्देश दिये जायें तथा लिखित कार्य प्रदान किया जाय। इससे छात्रों में अनुकूलन बना रहेगा।

Scanned with CamScanner

C-10

Adaptation:-

(5.) गूँगे एवं बहरे छात्रों के लिये सुझाव (Suggestions for dumb and deaf students):-

विद्यालय में गूँगे एवं बहरे छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है, परंतु उनके अनुकूल व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है। इसके लिये शिक्षकों को बोलते हुए तथा आंगिक संकेत करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिये।

(6.) गत्यात्मक अक्षम छात्रों का अनुकूलन (Adaptation of Motor skill impaired students):-

कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि गत्यात्मक कौशलों में अक्षम होते हैं। इस प्रकार के छात्रों के लिये विद्यालय में रैम्प (ढलान रास्ता) होनी चाहिये जिससे कि वे अपने रिक्शा को सरलता से विद्यालय में ले जा सकें। ऐसे विद्यार्थियों के लिये वॉकर, बैसाखी एवं व्हील चेयर आदि की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वो सहगामी क्रियाओं में भाग ले सकें।

(7.) नवीन तकनीकी का प्रयोग (Use of new Technology):-

विद्यालय प्रबन्धन को अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिये नवीन तकनीकी के आधार पर सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिये जिससे वे अपनी अक्षमता से बाधित न हो सकें; जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में C.D. player, Computer, Internet तथा Video player आदि का प्रयोग करने पर छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षण यंत्र प्रदान करके छात्रों की पठन सम्बन्धी विकलांगता की समस्याओं को कम किया जा सकता है।

(8.) पाठ-योजना द्वारा अनुकूलन (Adaptation by Lesson plan):-

इसके तहत ऐसा पाठ्य योजना तैयार होना चाहिए जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो।

Scanned with CamScanner

C-10

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 :
(Right to Education 2009)

बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 1 April, 2010 से लागू हुआ था।

इस अधिनियम में विकलांगता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इन विकलांगताओं का विकलांग व्यक्ति के लिए (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी - 1995 के अधिकिया गया। और स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों की कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 उल्लेख किया गया है।

RTE अधिनियम में विकलांगताऐं निम्नांकित हैं - i) अंधता, ii) बहरापन, iii) उपचारित कुष्ठ रोग, iv) कम दृष्टि v) लोकोमोटर विकलांगता vi) मंदबुद्धि vii) मानसिक रोग viii) स्वलीनता ix) मस्तिष्क पक्षाघात

RTE में इसके साथ-साथ बोलने में अक्षमता और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों की बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है कि विद्यालय, समाज और अभिभावकों की क्या-2 भूमिका होनी चाहिये और यह भी निर्धारित किया गया है।

इन निर्देशों के विधेयक को सात अध्यायों और 38 खण्डों में बांटा गया है।